प्रेस–विज्ञप्ति

बजट 2005–06 एक नजर में

वर्ष 2005–06 के लिये राज्य सरकार का बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2005 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इस बजट के मुख्य बिन्दु इसप्रकार है :–

- वर्ष 2005–06 के लिये कुल व्यय 10218 करोड़ का प्रावधान जो कि गत वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है ।
- आयोजना व्यय में गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 2004–05 के 3838 करोड़ से बढ़कर 4290 करोड़
- कुल व्यय में आयोजना व्यय का हिस्सा गत वर्ष के 40 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत
- आयोजना क्षेत्र में मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में 794 करोड़, (18 प्रतिशत) स्वास्थ्य में 199 करोड़ (5 प्रतिशत) आदिमजाति कल्याण में 238 करोड़, (5.5 प्रतिशत) महिला बाल विकास में 114 करोड़ (2.6 प्रतिशत) कृषि में 164 करोड़ (4 प्रतिशत) सिंचाई में 770 करोड़ (18 प्रतिशत) ग्रामीण विकास में 415 करोड़, (9.7 प्रतिशत) लोक निर्माण में 555 करोड़, (13 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है ।
- पूंजीगत व्यय में गतवर्ष की तुलना में 337 करोड़ की वृद्धि
- आयोजनेत्तर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत की कमी, वर्ष 2004–05 के कुल व्यय के 60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005–06 में 58 प्रतिशत
- कुल व्यय का 37 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में, 34 प्रतिशत आर्थिक क्षेत्र में तथा 27 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में प्रावधान
- कुल राजस्व प्राप्तियॉ 7881 करोड़ अनुमानित जिसमें राज्य का राजस्व 4647 करोड़ तथा केन्द्र से प्राप्तियॉ 3234 करोड़
- राज्य के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित
- राजस्व घाटा गत वर्ष के 407.18 करोड़ से घटकर 251.14 करोड़ अनुमानित
- वित्तीय घाटा गत वर्ष की तुलना में 192 करोड़ बढ़कर 2305 करोड़ अनुमानित
- वर्ष 2005–06 का शुद्ध बजटीय घाटा 390.26 करोड़ अनुमानित इसमें वर्ष 2004–05 के अनुमानित बजट घाटा 500.11 करोड़ को शामिल करते हुये इस वर्ष का कुल बजटीय घाटा 890.37 करोड़ अनुमानित

बजट वर्ष 2005–06 की मुख्य योजनायें

- विधायक निधि की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की जा रही है।
- **इस वर्ष के बजट में हमने मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर दिया है।**
- **शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए 22 हजार शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति – 34 करोड़ का व्यय भार**। संविदा शिक्षकों को शिक्षाकर्मी का दर्जा।
- भवनविहीन शालाओं में शाला भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ तथा पेय जल एवं शौचालय निर्माण हेतु 10 करोड़
- **15 जिलों में ''मॉडल स्कूल''** हेतु 15 करोड़
- मैनपाट में ''सैनिक स्कूल'' हेतु 50 लाख
- **''मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम'' को अधिक रूचिकर एवं पौष्टिक बनाया जाएगा। गत वर्ष के बजट प्रावधान 75 करोड़ की तुलना में वर्ष 2005–06 में 106 करोड़ का प्रावधान।**
- महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए **''बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना'' तथा ''बी.पी.एल. बुक बैंक योजना''** – 1 करोड़ का प्रावधान।
- **भिलाई, रायपुर एवं बिलासपुर में ''यूथ हॉस्टल'' का निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान**।
- दो नवीन आई.टी.आई. एवं 7 नवीन मिनी आई.टी.आई. की स्थापना हेतु 7 करोड़ का प्रावधान।
- स्वास्थ्य अधोसंरचना – सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व सेवायें सुनिश्चित करने हेतु ''फर्स्ट रेफरल यूनिट'' में प्रसव संबंधी शल्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 5.30 करोड़ का प्रावधान।
- भवनविहीन उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण 10 करोड़ का प्रावधान।
- **''मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना'' – दूरस्थ अंचलों में मितानिनों के माध्यम से उल्टी–दस्त, मलेरिया आदि सामान्य बीमारियों की रोकथाम हेतु दवाओं की पेटी उपलब्ध कराने** हेतु 5 करोड़ का बजट प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान

- **अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आश्रम शाला निर्माण हेतु 16 करोड़ का प्रावधान**। 22 प्री–मैट्रिक छात्रावास तथा 10 पोस्ट–मैट्रिक छात्रावास की स्थापना।

- भोजन सहाय योजना – छात्रावास में रहने वाले गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को सुपोषित भोजन उपलब्ध कराने हेतु 200 रुपए प्रति छात्र के मान से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, – 1.21 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में रहने वाले **छात्रों को विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ''विशेष कोचिंग केन्द्र'' की स्थापना की जाएगी**। इस हेतु 64 लाख का बजट प्रावधान।

- प्रदेश के सुदूर अंचलों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शहरों में आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **रायपुर में 500 सीटर महाविद्यालय कन्या छात्रावास** – 2.70 करोड़ का प्रावधान।

- राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय ''दहेज प्रतिषेध प्रकोष्ठ'' का गठन।

- निःशक्तजनों के सशक्तीकरण हेतु हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्हें बेहतर सेवा एवं सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के कवर्धा, कोरिया, कोरबा, धमतरी, महासमुन्द, कांकेर, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा तथा सरगुजा जिलों में ''जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र'' की स्थापना – 1.44 करोड़ का प्रावधान।

- **त्रि–स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के दैनिक भत्ते की राशि दुगुनी की गई है**।

- **राज्य के पेंशनर्स को दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से मंहगाई राहत 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया जाएगा**।

- छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के अंतर्गत **प्रचलित व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए उचित मूल्य दुकानों का संचालन निजी हाथों से लिया जाकर सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों, महिला स्वसहायता समूहों एवं वन सुरक्षा समितियों को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। इन संस्थाओं को राज्य शासन की ओर से कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी एवं इस हेतु बजट में 40 करोड़ का प्रावधान**।

- राज्य में खाद्य सुरक्षा के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा **''खाद्य सुरक्षा कोष'' का गठन किया गया है**। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण से प्रभावित एवं भूखमरी के संभावित दूरस्थ क्षेत्रों के हितग्राहियों को नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। **निर्धन एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवासरत लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सम्पूर्ण भारत वर्ष में सर्वप्रथम प्रयास है**।

- ग्रामीण साख व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के इस क्रम को जारी रखते हुए सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा उन्हें 5 वर्षों में 90 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2005–06 में इस हेतु 18 करोड़ का प्रावधान।

- हमारी सरकार ने लघु एवं सीमान्त कृषकों को व्यवसायिक एवं **सब्जी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''शाकम्बरी योजना'' प्रारंभ करने का निर्णय लिया है**। इस योजना के अंतर्गत 5 हार्स पॉवर तक के पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान तथा कुऐं एवं 10 हार्स पॉवर तक के जनरेटर सेट पर 50–50 प्रतिशत अनुदान दिये जायेगें। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 1.25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

- **प्रदेश के वृष्टिछाया क्षेत्र के 6 जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लिए मौसमी नदी–नालों पर 47 एनीकेट के निर्माण हेतु इस वर्ष 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**।

- **गत वर्ष सड़क, भवन एवं पुल–पुलिया निर्माण हेतु बजट में 772 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें 21 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इस वर्ष 935 करोड़ का प्रावधान**।

- **वर्ष 2005–06 में प्रदेश के विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र बोरई के विस्तार हेतु 10 करोड़ तथा रायपुर एवं रायगढ़ में पाँच–पाँच हजार एकड़ क्षेत्र में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है**।

- हथकरघा बुनकरों को बाजार के मांग अनुरूप नई डिजाईन विकसित करने एवं आधुनिक तकनीक के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण हेतु जांजगीर–चांपा में ''भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान'' की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 40 लाख का बजट प्रावधान।

- **छत्तीसगढ़ के बेलमेटल एवं कोसा को पेटेंट करने हेतु 12.20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है**।

- **राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा के साधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण'' का गठन किया गया है। आगामी वर्षों में भू–जल सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाने के लिये सभी किसानों को एक लाख पंप कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है**।

- भू–क्षरण के कारण नदियों में आ रहे उथलेपन पर नियंत्रण हेतु नदियों के तट पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना है, जिसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान।

- राज्य में ''वन अनुसंधान संस्थान'' की स्थापना का निर्णय लिया गया है और इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान।

- नक्सली उन्मूलन अभियान में पदस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों में भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत 25 लाख का प्रावधान किया गया है।

- प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं जन सुविधा को महत्व प्रदान करते हुए 12 नवीन थानों की स्थापना एवं 20 नवीन पुलिस चौकियों तथा 7 पुलिस चौकियों का थाने में उन्नयन हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है।

- **प्रथम चरण में सभी निर्माण विभागों में निविदा पद्धति के रूप में ई–टेंडरिंग लागू करने का निर्णय लिया गया है।**

- **वृत्ति कर की वर्तमान सीमा 1.5 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2 लाख की जानी प्रस्तावित है।** इससे लगभग 10 करोड़ की राजस्व हानि होगी, किन्तु 70,000 लोग लाभान्वित होंगे।

- **अधोसंरचना तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र में विकास तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु अतिरिक्त राजस्व संग्रहण करने के उद्देश्य से खनिजधारी भूमि पर उपकर अधिरोपित किया जाए। इससे वर्ष 2005–06 में 100 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति अनुमानित है।**